अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभितेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और एक्सिकरी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
14/11/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **सेवा अपील वाद संख्या-60/2023** **रमेश पासवान.....अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य ..... रेसपॉण्डेन्ट** **-:आदेश:-** प्रस्तुत सेवा अपील रमेश पासवान, चौकीदार 2/5, मधेपुरा थाना, सा0-मदनपुर, वार्ड न0-15, अंचल+थाना+जिला -मधेपुरा के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-802-2/सा0, दिनांक-24.05.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 की कंडिका-06 के आलोक में संचयी प्रभाव से बार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुए निलंबन अवधि को कार्यरत अवधि मानते हुए उक्त अवधि का केवल जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-84-2/सा0 दिनांक-23.02.1999 के द्वारा चौकीदार के पद पर की गयी। तदनुसार वे अंचल कार्यालय, मधेपुरा में योगदान देकर कार्यरत है। कभी भी उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-1569/गो0, दिनांक-08.11.2007 के द्वारा उन्हें दिनांक-08.11.2007 को कोर्ट हाजत के पीछे निगरानी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण घोर लापरवाही, आदेशोल्लंघन, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में समर्पित अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-1620-2/सा0, दिनांक-05.12.2007 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित करते हुए अंचल अधिकारी, मधेपुरा को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर चार प्रतियों में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से	

समर्पित करने का निदेश दिया गया है। अंचल अधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-252-2, दिनांक-18.07.2008 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-712-2 दिनांक-13.08.2008 के द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-'क' में गठित कर समर्पित किया गया है। तत्पश्चात कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1681-2/सा0, दिनांक-22.11.2008 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार भारती, कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, मधेपुरा को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 596 दिनांक-21.12.2009 से अपना जाँच प्रतिवेदन अभिनत के साथ समर्पित किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण संचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक लगाते हुए एवं निलंबन अवधि को कार्यरत अवधि मानकर केवल जीवन निर्वाह भत्ता देते हुए निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-802-2/सा0, दिनांक-24.05.2010 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने के कारण संचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुए निलंबन से मुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि को कार्यरत अवधि मानते हुए उक्त अवधि का केवल जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा समर्पित वादपत्र में उनका मूल रूप से कहना है कि अपीलार्थी की ड्यूटी व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में हाजत की सुरक्षा के लिए दिनांक-08.11.2007 को लगी थी। उसी दौरान कैदी दीवार तोड़कर भाग गया, जिसकारण उन्हें जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा दिनांक-05.12.2007 को निलंबित किया गया तथा लगभग 12 महीना बीतने के बाद दिनांक-22.11.2008 को आरोप पत्र गठित किया गया, उनका कहना है कि इस प्रकार आरोप पत्र गठित करने में बिहार सी0सी0ए0रूल के कंडिका-9 का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि उक्त कंडिका में प्रावधानित है कि निलंबन की तिथि के तीन माह के भीतर आरोप पत्र गठित कर दिया जायेगा तथा ऐसा नहीं किये जाने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा, किन्तु अपीलार्थी के मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से यह बयान दिया गया कि हाजत की सुरक्षा की ड्यूटी आवंटित रहने के बावजूद उन्हें ही कैदी को न्यायालय ले जाना तथा वापस लाना पड़ता था, किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया। कैदी के फरार होने से संबंधित प्राथमिकी

मधेपुरा थाना में दर्ज किये जाने पर अपीलार्थी ने गबाही देकर विभाग का सहयोग किया, इससे फरार कैदी को सजा भी किया गया। इस प्रकार आवेदक के द्वारा जिला प्रशासन को सकारात्मक सहयोग किया गया। उनका यह भी कहना है कि सी0सी0रूल, 2005 के तहत बृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृच्छा जाना चाहिए था, जो उनसे नहीं पूछा गया। तदालोक में अपीलार्थी के द्वारा संचालन पदाधिकारी एवं नियंत्री पदाधिकारी के स्तर से विभागीय कार्यवाही के संचालन में बिहार सी0सी0ए0 रूल, 2005 में दिए गए प्रावधान का पालन नहीं किये जाने के कारण उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों के परिशीलनोपरांत परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित है तथा वे अपने बचाव में कोई भी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। आरोप की गम्भीरता के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2007 के नियम-14 के तहत अधिरोपित दंड सही है, जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना संभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

11/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।